



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 308 राँची, सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

11 जुलाई, 2022/ 20 आषाढ़, 1944 (शक)

सं. 479/2022(1)--यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के संचालन के संबंध में राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974, के नियम 7 के अधीन दिनांक 15 जून, 2022 को जारी अपनी अधिसूचना सं. 479/2022(1) के द्वारा मतदान का स्थान व निर्वाचकों का समूह, जो उन मतदान स्थलों पर मतदान करने का पात्र होगा, उनको अधिसूचित कर दिया है; और

यतः, उक्त अधिसूचना की टिप्पणी में मतदान की तारीख से 10 दिन पहले की सीमा उस रूप में निर्धारित की गई है, जिससे पहले कोई भी संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि उनके समूह के लिए अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य मतदान स्थल पर मतदान करना चाहता/चाहती हो तो उसे निर्धारित प्रपत्र में भारत निर्वाचन आयोग को सीधे आवेदन करते हुए सूचित करना होगा; और

यतः, आयोग ने अत्यन्त तात्कालिक स्थिति के मामले में 10 दिन पूर्व सूचना की उपर्युक्त शर्त को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

अतः, अब आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आयोग में मतदान की तारीख से 10 दिन पूर्व की अवधि के पश्चात भी प्राप्त अनुरोध, यदि कोई है, तो आयोग द्वारा उस पर व्यक्तिगत मामले की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकता है और आयोग ऐसे संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य को उनके समूह के लिए अधिसूचित स्थान के अलावा अन्य मतदान स्थल पर मतदान करने की अनुमति दे सकता है, यदि इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

11th July, 2022/ Ashadha 20, 1944 (Saka)

No. 479/2022(1)--Whereas, the Election Commission of India, in connection with conduct of Presidential Election, 2022, has notified under Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, vide its Notification No. 479/2022(1) dated 15th June, 2022, the Place of polling and Group of electors who will be entitled to vote at those places of poll; and

Whereas, in the Note to the said Notification, a limit of 10 days before the date of poll has been fixed, before which any Member of Parliament/Member of Legislative Assembly, on account of exigency for special circumstances, has to intimate if he/she desires to vote at place of polling other than the one notified for his/her group, by directly applying to the Election Commission of India in the prescribed format; and

Whereas, the Commission has decided to liberalise the above said stipulation of 10 days' prior intimation in case of extreme urgent situation;

Now, therefore, the Commission has decided that the requests for the aforesaid purpose, received in the Commission, even after 10 days before the date of poll, if any, may be considered by the Commission based upon the circumstances of individual case and allow such Member of Parliament/Member of Legislative Assembly to cast vote at place of polling other than the one notified for his/her group, if there is sufficient time available for making necessary arrangements in this regard.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY
